Serial No & Date of issue :- ------------------------------------ **Envelope "B"**

बुन्देलखण्ड शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (स्वशासी समिति) सागर (म.प्र.)

website :- www.bmcsagar.deu.in
Email :- bmcsagar@mp.gov.in

फोन नं. 07582–236270
फैक्स नं. 07582–236457

महाविद्यालय/चिकित्सालय के सुचारु संचालन हेतु मेन पावर उपलब्ध कराने हेतु

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

पृष्ठ क्रं. 01 से 18 तक

निविदा मूल्य रु. 5000/–
(नॉन रिफण्डेबल)

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. **कार्य का नाम :–**

बुन्देलखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के सुचारु संचालन हेतु तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न तकनीकि एवं गैर तकनीकि कार्यो (जैसे– उपयंत्री, मैकेनिक, प्लंबर, इलैक्ट्रिशियन, लाइनमैन, तारमैन, नाई, धोबी, दर्जी, वार्डवॉय, भृत्य, माली, रसोईया इत्यादि) के लिए मेन पावर उपलब्ध कराना।

2. **निविदा धरोहर राशि :–**

निविदादाता को निविदा के साथ अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) न्यूनतम दो लाख पचास हजार मात्र (रु. 2,50,000/–) है। सुरक्षा निधि, निविदा की वित्तीय दर स्वीकृत होने पर उसी दर के अनुसार एक माह की राशि के बराबर जमा करानी होगी। उक्त राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर. जो अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर एवं संबंधित फर्म के नामे एवं सागर में भुगतरित, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अग्रिम धरोहर राशि संलग्न अथवा प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा। होगा। एफ.डी.आर. की वैद्यता न्यूनतम 18 माह होनी चाहिए, इससे कम अवधि की एफ.डी. आर. मान्य नहीं होगी। (डी.डी./चेक/बैंक गारण्टी मान्य नहीं)

सफल निविदाकार की धरोहर राशि महाविद्यालय में निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदाएगी शेष न रहने पर वापिस की जाएगी। शेष असफल निविदादाताओं की निविदा धरोहर राशि, आवेदन देने पर तुरंत वापिस की जाएगी।

निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा मूल्य राशि रु. 5000/– वापिसी योग्य नहीं है।

3. **निविदा की समयावधि :–**

अनुबंध के अनुसार निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। निविदा काल अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा तथा कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। उक्त निविदाकाल में, महाविद्यालय द्वारा संबंधित कर्मचारियों की भर्ती होने पर, निविदादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे कर्मियों की संख्या में कमी की जाती रहेगी।

कार्य संतोषजनक पाए जाने पर महाविद्यालय की क्रय समिति एवं कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर मेनपावर व्यवस्था की निविदा आगामी एक वर्ष के लिए, फर्म के आवेदन पर आगे बढ़ाई जा सकेगी। किन्तु बढ़े हुए वर्ष हेतु निविदा, निविदा दर में

अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मान्य होगी। निविदा की कुल अवधि, दो वर्ष से अधिक नहीं की जा सकेगी।

4. **निविदा का प्रारुप एवं प्रस्तुति विधि :–**

निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा www.mpeproc.gov.in के साथ–साथ निविदा की एक हार्ड प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी। इस हेतु निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में स्याही या टाईप से भरा जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक पृष्ठ एवं प्रस्तुत अभिलेख पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगानी होगी। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार (Correction/Overwritting) मान्य नही किया जाएगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रुप से पुनः लिखकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा।

4.1 निविदा ऑनलाईन एवं त्रिस्तरीय होगी।

4.2 निविदादाता को ऑनलाईन दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ–साथ एक सील बंद लिफाफे में हार्डकॉपी महाविद्यालय में डाक/स्वयं के द्वारा अंतिम तिथि तक जमा कराना होगा।

4.3 मुख्य लिफाफे के अंदर तीन लिफाफे क्रमशः ए., बी. सी रखने होंगे।

4.4 लिफाफा ए में एफ.डी.आर. एवं निविदा मूल्य की मूल प्रति रखनी होगी।

4.5 लिफाफा बी में फर्म के हस्ताक्षर एवं सील सहित निविदा प्रपत्र एवं चाहे गए समस्त तकनीकि दस्तावेज रखने होंगे। चाहे गए समस्त दस्तावेज मांग किए गए क्रम अनुसार जमा किये जाने चाहिए।

4.6 लिफाफा सी में निविदा की वित्तीय दर मूल प्रति में जमा करनी होगी।

4.7 निविदाफर्म द्वारा समस्त दस्तावेज स्व प्रमाणित एवं फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत किए जाने होंगे।

4.8 प्रस्तुत किए जाने वाले सभी लिफाफों पर प्रति में अधिष्ठाता बीएमसी सागर तथा प्रेषक में फर्म का नाम एवं पूर्ण पता लिखा जाने के साथ साथ **"चिकित्सा महाविद्यालय/ चिकित्सालय के सुचारू संचालन हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने हेतु निविदा 2017–18"** लिखा जाना होगा।

4.9 ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करते हुए निविदाकार फर्म को निविदा की धरोहर राशि हेतु मूल प्रति की स्कैन कॉपी संलग्न की जानी होगी। साथ ही निविदा मूल्य की पावती भी संलग्न की जानी होगी।

4.10 ऑनलाईन निविदा की तकनीकि निविदा में फर्म को निविदा के चाहे गए समस्त तकनीकि दस्तावेजों के साथ–साथ निविदा प्रारुप जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म के सील व हस्ताक्षर हो स्कैन कर संलग्न की जानी होगी।

4.11 ऑनलाईन निविदा में चाहे गए प्रारुप में वित्तीय निविदा दर प्रस्तुत की जानी होगी।

5. **निविदा प्रपत्र का विक्रय :–**

निविदा प्रपत्र, www.mpeproc.gov.in से ऑनलाईन देखने/पढने के बाद दिनांक 06.04.2017 (गुरूवार) सायं 5:30 बजे तक ऑनलाईन निर्धारित शुल्क जमा

कर, ऑनलाईन क्रय की जा सकेगी। किसी भी परिस्थिति में निविदा मूल्य रु. 5000/– वापिसी योग्य नहीं है।

फर्म द्वारा मैनपावर व्यवस्था हेतु महाविद्यालय परिसर का भौतिक निरीक्षण, कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में आकर किया जा सकता है।

6. **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :–**

निर्धारित प्रपत्र एवं संलग्नक मोहर बंद लिफाफे में जिसके ऊपर **''महाविद्यालय/चिकित्सालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैनपावर व्यवस्था 2017–18''** अंकित कर अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालय में हार्डकॉपी दिनांक 12.04.17 (बुधवार) को दोपहर 2:30 बजे तक जमा की जा सकती है। निविदाकार फर्म से अपेक्षा की जाती है कि उसके द्वारा हार्डकॉपी में वही दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए, जिन्हें वह ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत कर रहे। फर्म द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किए गए दस्तावेज ही मान्य किए जाएंगे। डाक विलंब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

नवीन फर्म (बुन्देखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय में कार्य के अतिरिक्त) को प्राथमिकता दी जावेगी। कोई भी विवादित (जांच स्थिति) निविदाता आवेदन न करें।

7. **निविदा खोलने की तिथि एवं निविदा का स्वरुप :–**

दिनांक 12.04.17 (बुधवार) को दोपहर 3:00 बजे अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के बैठक कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित क्रय समिति के सदस्यों, द्वारा ऑनलाईन निविदा खोली जावेगी। समस्त निविदादाता फर्म निविदा खोलने की कार्यवाही ऑनलाईन देख सकेंगे।

7.1 दि. 12.04.17 को दोपहर 3:00 बजे निविदा की एफडीआर निविदा 'ए' खोला जाएगा।

7.2 निविदा 'ए' में सफल होने वाले निविदाकारों की तकनीकि निविदा 'बी' दि. 12.04.17 को दोपहर 4:00 बजे खोली जावेगी।

7.3 निविदा 'बी' में सफल होने वाले निविदाकारों की वित्तीय निविदा 'सी' दि. 17.04.17 को दोपहर 3:00 बजे से खोली जावेगी।

7.4 चाहे गए दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत न करने पर किसी भी स्तर पर निविदाकार फर्म के असफल होने की पूर्ण जबावदेही संबंधित फर्म की होगी।

7.5 क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

8. **निविदा का परीक्षण एवं चयन :–**

8.1 विज्ञप्त निविदा त्रिस्तरीय होगी। जो क्रमशः निविदा धरोहर राशि, तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा दर लिफाफों के रुप में खोलकर की जावेगी।

8.2 प्रथमतः जिन निविदादाताओं की धरोहर राशि प्राप्त होगी, उन्हीं को तकनीकि निविदाएँ खोलने के लिए अर्ह माना जाएगा। तथा जिन निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारुप एवं राशि की सुरक्षा निधि जमा नहीं की जाएगी उन्हें अयोग्य मानकर, उनके द्वारा जमा शेष निविदाएँ (जैसे तकनीकि एवं वित्तीय निविदा के लिफाफे) यथावत जमा कर लिए जावेंगे।

8.3 द्वितीयतः जो निविदादाता फर्में, तकनीकि निविदा में सफल हुए होंगे, उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदाएँ खोली जाएगी। क्रय समिति के सदस्यों द्वारा सभी निविदाओं का

सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा तथा चाहे गए सभी अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर निविदादाता फर्म को तकनीकि निविदा में अर्ह माना जाएगा। तथा जो निविदादाता तकनीकि निविदा में असफल होंगे, उनकी वित्तीय निविदाएँ नहीं खोली जाएंगी तथा उन्हें यथावत/यथा स्थिति जमा कर लिया जावेगा।

8.4 तृतीयतः जिस निविदादाता की वित्तीय निविदा दर न्यूनतम होगी, उसे चयनित किया जाएगा।

8.5 यदि एक से अधिक निविदादाता की दरें बराबर होंगी तो उस स्थिति में जिस निविदाकार को शासकीय चिकित्सालयों में मेन पावर का कार्य अनुभव अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

8.6 किसी भी स्तर में निविदा के असफल होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का स्वयं होगा।

8.7 अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शा. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को अधिकार होगा कि वह न्यूनतम/अधिकतम दर वाली फर्म को यदि वह उचित समझता है तो बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगा तथा इस संबंध में अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम होगा।

8.8 अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

8.9 निविदा में उल्लेखित कार्यक्षेत्र में बगैर सूचना के किसी भी समय परिवर्तन करने या निविदा निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को है।

8.10 निविदा प्रस्तुत करने पर उपरोक्त समस्त बिन्दु सभी निविदादाताओं को मान्य रहेंगे।

9. विभिन्न कर्मियों की तैनाती :—

निविदादाता को संख्या (अधिकतम 60) में विभिन्न कर्मियों को तीनो पहर (24 घंटे) सातो दिन उपलब्ध कराने होंगे। इस हेतु निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने की दिनांक से विभिन्न कर्मी उपलब्ध कराने हेतु घोषणा पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। विभिन्न कर्मियों की वास्तविक संख्या का निर्धारण अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शास.चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा किया जाएगा एवं कर्मियों की संख्या कम या ज्यादा भी की जा सकती है। विभिन्न कर्मी, योग्यतानुसार होने चाहिए। निविदादाता फर्म को सहायक सामग्री जैसे (कर्मियों को पूर्ण वर्दी, नेम प्लेट, एप्रेन, आई. कार्ड इत्यादि) उपलब्ध करानी होगी। उक्त समस्त सामग्री की व्यय राशि निविदा दर में ही सम्मिलित करें।

11. अनुबंध :—

सफल निविदादाता को अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा.चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के मध्य एक वर्ष के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदाय हेतु अनुबंध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु स्टाम्प पेपर रु. 1000/— नोटरी इत्यादि का व्यय निविदादाता को स्वयं करना होगा। निविदा काल अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा तथा कार्य असंतोषजनक पाए जाने

पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्ते, संलग्न प्रपत्रानुसार एवं अधिष्ठाता महोदय के द्वारा पृथक से संयोजित की जा सकेगी।

12. **महाविद्यालय/चिकित्सालय के सुचारु संचालन हेतु मेनपावर उपलब्ध कराने हेतु निविदा की अनुबंध शर्ते :–**

1. सफल निविदादाता को एक वर्ष के लिए सुरक्षा व्यवस्था की निविदा अनुबंध के आधार पर, निम्न शर्तो के एवं व्यय राशि रु. .... प्रति कुशलकर्मी प्रतिदिन की दर से तथा व्यय राशि रु. .... प्रति अर्द्धकुशल कर्मी प्रतिदिन की दर से एवं व्यय राशि रु. .... प्रति अकुशल कर्मी प्रतिदिन की दर से के साथ प्रदाय किया जाएगा। (रिक्त स्थानों को स्वीकृत निविदा दर राशि से अनुबंध करते समय भरा जाना है)
2. अनुबंध की शर्तों के अतिरिक्त महाविद्यालय/चिकित्सालय के सुचारु संचालन हेतु जारी संपूर्ण निविदा का पालन करना भी निविदादाता फर्म का अनिवार्य कर्तव्य होगा। अधिष्ठाता महोदय के द्वारा पृथक से नई शर्ते भी संयोजित की जा सकेगी।
3. निविदा काल अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा किन्तु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर तृतीय श्रेणी के तकनीकि/गैर तकनीकि पदों पर भर्ती किए जाने पर, निविदा के उक्त संबधित कर्मियों की संख्या कम होती जाएगी।
4. कार्य संतोषजनक पाए जाने पर क्रय समिति की अनुशंसा एवं कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति उपरांत महाविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था निविदा आगामी एक वर्ष के लिए, स्वीकृत निविदा दर में अधिकतम 10 प्रतिशत बृद्धि के साथ, फर्म के आवेदन पर बढ़ाई जा सकेगी।
5. निविदादाता फर्म द्वारा निम्न अधिनियमों का पालन अनिवार्य रुप से किया जाएगा एवं निम्न अधिनियमों के अंतर्गत समस्त भुगतानों की जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य अधिनियम श्रम कानून अथवा अन्य कानून जो भी लागू होंगे, का पालन करना अनिवार्य होगा एवं उसके पालन की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी :–

   1. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 2. श्रम अधिनियम, 3. ई.पी.एफ. अधिनियम,
   4. ई.एस.आई.सी. अधिनियम, 5. सेवाकर अधिनियम 6. वेतन एवं बोनस अधि.

6. निविदादाता फर्म द्वारा दी गई वित्तीय निविदा दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। किन्तु यदि फर्म द्वारा वित्तीय दर श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत, अकुशल /अर्द्धकुशल/कुशल की न्यूनतम दर दी जाती है, तो उक्त वित्तीय दर, श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल की न्यूनतम दर के अनुसार समय–समय पर परिवर्तनशील होगी।
7. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त किए गए समस्त कर्मियों की सूची जिसमें उनका नाम, पिता का नाम, पता, बैंक एकाउंट नं., कलर फोटो तथा मोबाईल नं. हो, प्रथम देयक के साथ संलग्न करना होगी। इसके अतिरिक्त नियुक्त कर्मचारियों का फोटो आई.डी., उनके पुलिस चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि स्थिति में देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

8. इसीप्रकार जब भी संबंधित कर्मियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाए अथवा पुराने कर्मियों को हटाकर नए कर्मी तैनात किए जाए तो कम अथवा ज्यादा होने वाले कर्मियों की सूची उपरोक्तानुसार संलग्नकों के साथ आगामी देयक के साथ संलग्न की जाना अनिवार्य होगा।

9. कार्य प्रारंभ होने के बाद फर्म को अपना प्रतिमाह के देयक का सत्यापन जिसमें संबंधितकर्मी की उपस्थिति, संतोषजनक कार्य संबंधी टीप लिखे जाने वाले प्रारुप संलग्न कर, संबंधित स्थल के अधिकारी (महाविद्यालय हेतु प्रभारी अधिकारी, विभागों हेतु विभागाध्यक्ष, चिकित्सालय हेतु अधीक्षक, छात्रावासों हेतु छात्रावास अधीक्षक, ओपीडी, अतिथि गृह, पुस्तकालय, ऑडिटरोयिम हेतु उनके प्रभारी अधिकारी इत्यादि) से कराना आपका उत्तरदायित्व होगा, तत्पश्चात देयक अधिष्ठाता कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा असंतोष व्यक्त करने अथवा अनुपस्थिति इन्द्राज करने पर प्रस्तावित राशि देयक से काट ली जावेगी।

10. निविदादाता फर्म को उपलब्ध कराए जा रहे कर्मियों पर नियंत्रण एवं सुचारु संचालन हेतु स्वयं के व्यय से, न्यूनतम दो सुपरवाईजरों की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। नियुक्त किए गए सुपरवाईजरों की सूची, नाम, फोटो, पते एवं मोबाईल नंबर सहित तथा फोटो आई.डी. की छायाप्रति, कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त सुपरवाईजर, महाविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में विभिन्न कार्य संपादित कराएंगे।

11. सफल निविदादाता फर्म द्वारा निविदा स्वीकृत होने तथा अनुबंध संपादित करने से पूर्व, यदि लिखित आवेदन देकर, निविदा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो उक्त आवेदन पर, उसकी निविदा निरस्त कर, जमा सुरक्षा निधि की 25% राशि राजसात कर शेष सुरक्षा निधि वापिस कर दी जाएगी।

12. निविदादाता द्वारा निविदा भरी जाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि निविदाकार को निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते मान्य हैं। सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के पश्चात निर्धारित दिनांक से कार्य पूर्ण रुप से प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उसकी निविदा समाप्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी एवं उसे ब्लेक लिस्टेड कर दिया जाएगा तथा द्वितीय सफल निविदादाता से अनुबंध किया जा सकेगा। जिस पर प्रथम सफल निविदादाता को किसी भी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

13. निविदादाता फर्म द्वारा की जा रही व्यवस्था संतोषप्रद नहीं पायी जाती है अथवा यदि स्वयं निविदा कार्य करने में असफल होता है या वह स्वयं बिना सूचना के कार्य छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शा.चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना दिए, निविदा अनुबंध समाप्त कर, जमा सुरक्षा निधि को पूर्णतः राजसात कर, शेष अवधि का ठेका द्वितीय निविदाकार को दिया जा सकेगा।

14. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड शा.चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा सुरक्षा कार्य के मासिक देयकों का भुगतान चैक के माध्यम से सत्यापित देयक प्राप्ति के दस दिन के अंदर कर दिया जाएगा। किन्तु किसी समय ऐसा संभव न हो तो ठेकेदार उक्त देरी हेतु ब्याज अथवा हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। किसी भी कारण से देयक के भुगतान न होने पर निविदादाता फर्म को अपने अधीनस्थ कर्मियों

को उनका मासिक वेतन, ईपीएफ, ईएसआई इत्यादि का भुगतान स्वयं करना होगा। फर्म के अधीनस्थ कर्मियों को वेतन भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी।

15. निविदादाता फर्म को अपने अधीनस्थ कर्मियों का वेतन वितरण किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा एवं बैंक में भेजे जाने वाले पत्र की सत्यापित प्रति अगले देयक के भुगतान के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में देयक का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

16. प्रथम देयक के पश्चात के देयकों के साथ, गत माह में भुगतान की गई ई.पी.एफ./ई. एस.आई.सी./सर्विस टैक्स/पे–रॉल इत्यादि के चालान/पत्र द्वारा निर्धारित तिथियों में जमा करना एवं उक्त चालान की सत्यापित प्रति अगले देयक के साथ प्रस्तुत करना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा अन्यथा की स्थिति में देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा। कर्मियों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई./सर्विस टैक्स इत्यादि के अंशदान निविदादाता द्वारा स्वीकृत दर में ही स्वयं वहन करना होगा। अंशदान में परिवर्तन होने पर परिवर्तित राशि जमा करने के जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी तथा महाविद्यालय इस राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

17. निविदादाता फर्म का यह दायित्व होगा कि वह, फर्म द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक कर्मी के ई.पी.एफ. एलॉटमेंट नंबर, ई.एस.आई. एलॉटमेंट नंबर की सूची, कार्य प्रारंभ करने के दो माह के अंदर महाविद्यालय को उपलब्ध कराएगी। साथ ही समय–समय पर की गई कर्मियों की वृद्धि/कमी अनुसार, कर्मियों के ईपीएफ/ईएसआई नंबर की सूची महाविद्यालय को उपलब्ध कराएगी।

18. निविदादाता फर्म यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा नियुक्त समस्त कमिर्यो का आपराधिक रिकार्ड नहीं है। यदि कोई कर्मचारी आपराधिक कृत्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा एवं पुलिस द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में आपको पूर्णतः सहयोग प्रदान करना होगा।

19. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त समस्त कर्मियों के वेतन का भुगतान किए गए कार्य दिवस के अनुसार किया जावेगा। अवकाश वाले दिनों अथवा जिस दिन कार्य न हुआ हो उस दिन अथवा सुरक्षाकर्मी की अनुपस्थिति का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा।

20. समस्त कर्मी, निविदादाता फर्म के नियंत्रण में कार्य करेंगे। तथा फर्म, संबंधित स्थल के अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए बाध्य रहेंगी। किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति, अवकाश, बीमारी इत्यादि की स्थिति में ठेकेदार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। किसी भी सफाई कर्मचारी के असंवैधानिक, अनैतिक कार्यो में लिप्त पाए जाने पर ऐसे कर्मचारियों को तुरंत हटाया जाना आवश्यक होगा। ऐसे कर्मचारियों के स्थान पर अन्य उपयुक्त कर्मचारियों को तत्काल उपलब्ध करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

21. फर्म द्वारा नियुक्त समस्त कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश/अन्य अवकाश प्रदाय करना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा। महाविद्यालय की व्यवस्था आवश्यकतानुसार सातो दिन एवं रात्रिकालीन समय में भी की जाना होगी। अतः इसलिए अवकाश वाले

दिनों सहित प्रतिदिन चिकित्सालय में किए गए कार्यो के देयक का भुगतान प्रतिदिन प्रति कर्मी की दर से किया जाएगा। अतः विभिन्न कर्मियों को दिए जाने वाले अवकाश से महाविद्यालय/चिकित्सालय की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आपके द्वारा अवकाश पर जाने वाले कर्मी के स्थान पर तुरंत अन्य कर्मचारी की व्यवस्था करनी होगी। अवकाश पर जाने वाले कर्मचारी के स्थान पर तैनात किए गए नए कर्मचारी की सूचना एवं संलग्नक इस कार्यालय को प्रदान किया जान अनिवार्य होगा।

22. मासिक देयक के साथ, समस्त कर्मियों की उपस्थिति पत्रक, जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्य की उपस्थिति हो, संबंधित स्थल के प्रभारी अधिकारी के द्वारा सत्यापित संलग्न करना अनिवार्य होगा। कर्मियों को दिए जाने वाले साप्ताहिक अवकाश का पालन करना, निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा।

23. निविदादाता फर्म को प्रत्येककर्मी का मासिक रोस्टर माह प्रारंभ होने से पूर्व तैयार कर महाविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी से सत्यापन कराकर, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

24. रोस्टर अनुसार कर्मियों के निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए पाना चाहिए। भौतिक निरीक्षण के दौरान कर्मियों को रोस्टर अनुसार निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए नहीं पाए जाने अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अन्य स्थल पर कार्य करते हुए पाए जाने पर, फर्म की कार्य के प्रति लापरवाही समझी जावेगी। जिसके दण्डस्वरुप महाविद्यालय, फर्म के विरुद्ध अर्थ शस्ति अधिरोपित करने की हकदार होगी तथा महाविद्यालय द्वारा लगाई गई अर्थ शस्ति निविदादाता फर्म को भरना अथवा अपने देयक से कटौत्रा कराना अनिवार्य होगा।

25. महाविद्यालय/चिकित्सालय परिसर के सुचारु संचालन हेतु व्यवस्था उच्च श्रेणी की प्रदाय करना अनिवार्य होगा अतः महाविद्यालय की विभिन्न व्यवस्था हेतु नियुक्त कर्मियों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री जैसे वर्दी, पहचान पत्र, नेम प्लेट, एप्रेन इत्यादि उपलब्ध कराना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा। उक्त सामग्री हेतु व्यय राशि, दी गई निविदा की वित्तीय दर में ही संयोजित है।

26. प्रत्येक कर्मी का कार्य समय 8 घंटे होगा, कार्य समय में उसके द्वारा निर्धारित कर्तव्य स्थल पर दिया गया कार्य पूर्ण करना होगा।

27. प्रत्येक कर्मी को यह कर्तव्य होगा कि वह अपना संबंधित कार्य कुशलता से एवं प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार समय पर पूर्ण करें। निरीक्षण में पंखा, विद्युत, नलपानी असमय चालू पाए जाने पर संबंधित पाइण्ट कर्मी को दण्डित करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

28. प्रत्येक कर्मी संबंधित समस्त सामग्री की रक्षा करेंगे। यदि कोई सामग्री की चोरी करना पाया जाता है तो सामग्री के मूल्य की राशि निविदादाता फर्म के देयक से कटौत्रा की जावेगी।

29. चिकित्सालय परिसर में मरीजों के परिजनों को निर्धारित समय में ही, मरीज से मिलने दिए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित सुरक्षाकर्मी का होगा।

30. महाविद्यालय/चिकित्सालय परिसर में, चिकित्सकों/स्टाफ से मेल–जोल बनाकर एवं निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

31. नियुक्त किए गए समस्त अकुशल कर्मियों को, संबंधित उनके कार्य का प्रशिक्षण दिया जाना होगा, जिससे वह अपना संबंधित कार्य पूर्ण जिम्मेदारी से कर सके।

32. समस्त कर्मी अपने कर्तव्य स्थल पर निर्धारित समय में पूर्ण मुश्तैदी से सुरक्षा कार्य संपादित करेंगे एवं महाविद्यालय/चिकित्सालय को होने वाली हानियों से बचाएंगे।

33. प्रत्येक कर्मी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपना कर्तव्य पूर्ण ईमानदारी एवं कठोर अनुशासन एवं लगन से पूर्ण करेंगे।

34. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक कर्मी का व्यवहार, मृदुल एवं मददपूर्ण होगा जो मरीजों के परिजन/मरीजों तथा अन्य सामान्य जन के लिए सहायता प्रदान करेगा।

35. उपयोग में लाए जाने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदादाता फर्म को स्वयं करनी होगी किन्तु सामग्री नियमानुसार हो।

36. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त किए गए समस्त कर्मी अपने कर्तव्य स्थल पर किसी प्रकार के मादक पदार्थो/नशे/व्यसन का सेवन नहीं करेंगें। यदि कर्तव्य स्थल पर किसी भी कर्मी को मादक पदार्थो/बीड़ी सिगरेट या पान गुटखा का सेवन करते हुए पाया जाएगा, तो फर्म पर अधिकतम राशि रु. 1000 का अर्थदण्ड के साथ, संबंधित सुरक्षाकर्मी को हटना होगा।

37. अपने निर्धारित समय एवं कर्तव्य स्थल पर, संबंधित कर्मी के सोते हुए पाए जाता है तो, फर्म पर अधिकतम राशि रु. 1000 का अर्थदण्ड के साथ, संबंधित कर्मी को हटना होगा।

38. निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त कुशल कर्मियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए। सभी कर्मी शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट/स्वस्थ होना चाहिए। निविदाकार फर्म, निविदा कार्य हेतु बाल श्रमिकों को नियुक्त नहीं करेगी। ऐसा पाए जाने पर श्रम अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायितव निविदादाता फर्म का होगा।

39. अनुशासनहीनता/बिना पूर्व सूचना के, कर्मियों की अनुपस्थिति/कर्तव्य स्थल की सुरक्षा में चूक/निर्देशों के पालन न करने पर राशि रु. 500 से 5000 तक अर्थशस्ति प्रति प्रकरण लगाई जा सकेगी। जिसकी वसूली मासिक देयक के भुगतान से कटौत्रा कर की जावेगी।

40. अधिष्ठाता द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कर्मचारियों के स्थायी/अस्थायी कमी/ज्यादा आदेश देने पर कर्मियों की व्यवस्था करना आपका उत्तरदायित्व होगा। इस हेतु स्वीकृत निविदा दर से अस्थायी/स्थायी कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया जावेगा।

41. कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में उपस्थित होना होगा। इस हेतु निर्धारित वर्दी, जूते, केप, लगाए जाने वाले बैच, नेम प्लेट, फोटो आई.सी. कार्ड, इत्यादि उपलब्ध कराना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा पृथक से भुगतान नहीं किया जाएगा।

42. कर्मचारी के कर्तव्य स्थल अथवा स्थल से बाहर दुर्घटना होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि आदि देने के जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। इस हादसा/घटना से महाविद्यालय प्रशासन का कोई संबंध नहीं होगा।

43. परिशिष्ट–1 में अंकित समस्त प्रमाण पत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जाएगी। कार्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक से निविदादाता फर्म को निर्धारित संख्या में जनशक्ति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

44. किसी भी कर्मी अथवा फर्म द्वारा संस्था को किसी भी प्रकार की क्षति/हानि पहुॅचाने अथवा महाविद्यालयीन संपत्ति का आर्थिक नुकसान/चोरी करने/होने पर उसकी भरपाई निविदादाता फर्म के मासिक भुगतान अथवा अग्रिम धरोहर राशि से वसूल की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

45. फर्म द्वारा समस्त कार्यों का पूर्ण अथवा आंशिक हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति या फर्म को नहीं किया जा सकेगा तथा निविदा व्यवस्था, वर्ष में संपूर्ण कैलेण्डर दिनों के लिए भी की जानी होगी।

46. निविदादाता फर्म द्वारा निविदा कार्य हेतु प्रति माह जो दर निविदि प्रपत्र में अंकित की गई हो, वह राज्य/केन्द्र शासन तथा अन्य सभी प्रकार के दायित्वों/शुल्कों तथा फर्म के समस्त सर्विस चार्ज आदि को मिलाकर होनी चाहिए। उस राशि के अलावा ठेकेदार को अन्य राशि भुगतान मॉगने का अधिकार नहीं होगा और न ही महाविद्यालय द्वारा निविदा दर में स्वीकृत राशि के अलावा अन्य राशि भुगतान की जावेगी।

47. आपातकालीन स्थिति जैसे हड़ताल अथवा किसी विशेष आयोजन पर संबंधित अधिकारी द्वारा विशेष व्यवस्था हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

48. आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फर्म को उक्त अनुबंध के आधार पर होने वाली आय पर नियमानुसार स्त्रोत पर कर की कटौत्री की जाएगी तथा आयकर का पैन क्रं. देना अनिवार्य होगा।

49. सेवाकर अधिनियम के अनुसार यदि देयक में सर्विस टैक्स जोड़ा गया है तो अगले देयक में सर्विस टैक्स जमा करने के चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आगामी देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा। (वर्तमान में शैक्षिक संस्थानों को सेवाकर से मुक्त रखा गया है)

50. निविदादाता फर्म को वित्तीय वर्ष 2016–17 के माह जनवरी 2017 तक के सभी कार्यो जैसे आयकर, ईपीएफ जमा, ई.एस.आई.सी. जमा आदि का क्लीयरेंस प्रमाण पत्र, स्वयं के हस्ताक्षर एवं सील से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृति के बाद यदि कोई कर देय पाया जाता है तो वह निविदादाता फर्म द्वारा अदा किया जाएगा साथ ही वह निविदादाता की अयोग्यता का कारण भी होगा एवं ऐसी दशा में अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

51. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की सुचारू संचालन व्यवस्था हेतु 24 घंटे की जाना हैं अतः फर्म को कार्यादेश जारी होने की दिनांक से, निविदा में दिए गए कार्यतालिका **(Job Chart)** एवं निर्धारित समय–सारणी अनुसार कार्य कराना होगा।

52. प्रशासन के किसी कर्मी के कार्य से संतुष्ट न होने पर उसे तत्काल सेवा से हटा दिया जाना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा इस हेतु किए जाने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जावेगा।

53. प्रत्येक कर्मी से प्रति एक दिन के वेतन के लिए निर्धारित समय आठ घण्टे का संबंधित कार्य कराना अनिवार्य होगा। इन आठ घंटो में वह नियमित रुप से, प्रभारी अधिकारी द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देशानुसार निविदा कार्य करने हेतु बंधनकारी होगा। किस भी कर्मी द्वारा निर्देशो का पालन न करने पर, उस दिन के वेतन की कटौत्री करने एवं उसके निष्कासन की कार्यवाही की जाएगी। जिसका पालन फर्म द्वारा किया जाएगा। ध्यान रहे कि, प्रत्येक कर्मी को निविदा अनुसार प्रतिदिन आठ घंटे काम करना अनिवार्य होगा।

54. महाविद्यालय में होने वाले वार्षिक समारोह/सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य राजनैतिक कार्यक्रम या जनप्रतिनिधियों के भ्रमण के दौरान, व्यवस्था बेहतर बनाए रखने हेतु प्रभारी अधिकारी द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देशों का पालन फर्म द्वारा तत्काल किया जाएगा।

55. निविदाकार फर्म को, शासकीय संस्थानों में ब्लेक लिस्टेड न होने एवं निविदा प्रपत्र में भरी जानकारी तथा संलग्नकों के सत्य होने संबंधी शपथ पत्र 50 रु. के स्टाम्प पर नोटरी कराकर जमा कराना अनिवार्य होगा। (शपथ पत्र का प्रारुप संलग्न है)

56. निविदादाता द्वारा दी गई जानकारी असत्य, संलग्नक फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

57. निविदादाता फर्म को सागर नगर निगम क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय रखना अनिवार्य होगा।

58. निविदादाता अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जबावदार होगा।

59. ऊपर दी गई शर्तो के अलावा निविदादाता द्वारा दी गई शर्त मान्य नहीं होगी।

60. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय सागर को ऊपर दी गई शर्तो में कमी अथवा वृद्धि अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/होगा।

61. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय सागर को उक्त निविदा किसी भी समय स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।

62. चिकित्सा महाविद्यालय किसी भी शहर की सम्मानीय संस्था (Reputed Institute) होती है इसलिए व्ही.आई.पी./व्ही.व्ही.आई.पी. जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा उक्त संस्था का निरीक्षण किया जाना निश्चित है। अतः महाविद्यालय परिसर की निविदा व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी एवं जबावदेही निविदादाता फर्म की होगी। किसी भी अधिकारी द्वारा परिसर की संबंधित निविदा व्यवस्था मे ंकिसी भी प्रकार की कमी इन्द्राज की जाती है, तो यह आपके कार्य की असफलता समझी जावेगी तथा इस बेहतरीन सम्मानीय संस्था (Reputed Institute) की छवि धुमिल करने पर आपकी निविदा समाप्ति की कार्यवाही/अर्थदण्ड लगाने/अग्रिम धरोहर राशि के राजसात करने एवं फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। आप महाविद्यालय की बेहतर निविदा व्यवस्था हेतु अपने सुझाव महाविद्यालय प्रबंधन

समिति के समक्ष व्यक्त कर सकते है एवं प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत आपके सुझावों पर त्वरित कार्यवाही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की जावेगी।

63. विवाद की स्थिति में दोनो पक्ष आपस में विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे। अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त वैधानिक/न्यायिक कार्यवाही के लिए न्यायिक क्षेत्र सागर होगा।

64. निविदादाता फर्म को उपरोक्त शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा शर्तो के उल्लंघन करने पर प्रति प्रकरण रु. अधिकतम राशि रु. 5000/– अर्थदण्ड करने या अनुबंध निरस्त करने एवं जमा धरोहर राशि राजसात का अधिकार अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का होगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

65. निविदा कार्य हेतु कर्मचारियों के पद की सूची, उम्र कार्य तथा प्रकार निम्नानुसार है :–

क्रं.	कर्मचारी हेतु पद	आयु		प्रकार	अधिकतम संख्या	योग्यता	कार्य
		न्यून.	अधि.				
1	उपयंत्री सिविल	18	65	कुशल	01	संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट	संपूर्ण महाविद्यालय परिसर के भवनों संबंधी समस्त कार्य
2	उपयंत्री इलैक्ट्रिकल	18	65	कुशल	01	संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट	संपूर्ण महाविद्यालय परिसर के इलैक्ट्रिक संबंधी समस्त कार्य
3	उपयंत्री मैकेनिकल	18	65	कुशल	01	संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट	संपूर्ण महाविद्यालय परिसर के मैकेनिकल संबंधी समस्त कार्य
4	उपयंत्री बायोमेडिकल	18	65	कुशल	01	संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट	संपूर्ण महाविद्यालय परिसर के चिकित्सीय उपकरण संबंधी समस्त कार्य
5	रेडियाग्राफर टेक्नीशियन	18	50	कुशल	04	संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एवं सह चि. परिषद का पंजीयन	एक्सरे टेक्नीशियन का कार्य
6	ओ..टी. टेक्नीशियन	18	50	कुशल	04	संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एवं सह चि. परिषद का पंजीयन	ओटी टेक्नीशियन का कार्य
7	ईसीजी टेक्नीशियन	18	50	कुशल	04	संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एवं सह चि. परिषद का पंजीयन	ईसीजी टेक्नीशियन का कार्य
8	डेन्टल टेक्नीशियन	18	50	कुशल	02	संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एवं सह चि. परिषद का पंजीयन	डेन्टल टेक्नीशियन का कार्य
9	ऑडियोमिट्री टेक्नीशियन	18	50	कुशल	02	संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एवं सह चि. परिषद का पंजीयन	ऑडियोमिट्री टेक्नीशियन का कार्य
10	डार्करुम असिस्टेंट	18	50	अर्द्ध कुशल	03	जीवविज्ञान विषय से हायर सैकेण्डरी	एक्सरे विभाग में सहायक का कार्य
11	ड्रेसर	18	50	अर्द्ध कुशल	04	जीवविज्ञान विषय से हायर सैकेण्डरी	सर्जरी/अस्थि रोग विभाग में ड्रेसर का कार्य

12	इलैक्ट्रिकल	18	50	अर्द्ध कुशल	02	संबंधित विषय में आईटीआई	महाविद्यालय के समस्त इलैक्ट्रिल संबंधी कार्य
13	तारमिस्त्री	18	50	अर्द्ध कुशल	02	संबंधित विषय में आईटीआई	महाविद्यालय के समस्त विद्युत वायर संबंधी कार्य
14	ए.सी. मैकेनिक	18	50	कुशल अर्द्धकुशल	01 02	संबंधित विषय में आईटीआई	महाविद्यालय के समस्त ए. सी./रेफ्रजरेशन संबंधी कार्य
15	गैस मैकेनिक	18	50	अर्द्धकुशल	03	संबंधित विषय में आईटीआई	महाविद्यालय के समस्त गैस संबंधी कार्य
16	रसोईया	18	50	अर्द्ध कुशल	03	हायर सैकेण्डरी	अतिथि गृह में रसोईया का कार्य
17	पेन्टर	18	50	अकुशल	01	आठवी पास	विविध पेन्टिग का कार्य
18	वार्डवाय	18	50	अकुशल	30	आठवीं पास	वार्ड वाय हेतु
19	स्ट्रेचर बियरर	18	50	अकुशल	06	आठवीं पास	स्ट्रेचर लाने–ले जाने हेतु
20	नाई	18	50	अकुशल	01	आठवीं पास	नाई का कार्य
21	दर्जी	18	50	अकुशल	01	आठवीं पास	दर्जी का कार्य
22	माली	18	50	अकुशल	03	आठवीं पास	माली का कार्य
कुल योग (अधिकतम संख्या)					**82**		

उपरोक्त संख्या अनुमानित है, जिसमें पूर्णतः कमी अथवा बृद्धि करने का अधिकार अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर का होगा।

66. फर्म को कार्यादेश अनुसार कर्मियों की संख्या अनुसार अनुज्ञप्ति, श्रम विभाग द्वारा ली जाना अनिवार्य होगा।

13. **निविदा व्यवस्था हेतु कार्य तालिका (Job Chart) :-**

13.1 निविदादाता फर्म को महाविद्यालय/चिकित्सालय हेतु आवश्यक कर्मी 24X7 हेतु उपलब्ध कराना होंगे। महाविद्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा तैयार किए गए रोस्टर के अनुसार उक्त कर्मी अपना मासिक कार्य संपादित करेंगे।

13.2 निविदा कार्य तीन पालियों में कराया जा सकेगा। जिसका समय प्रातः प्रातः 8:00 से दोपहर 4:00 बजे तक, दोपहर 4:00 से रात 12:00 बजे तक एवं रात्रि 12:00 से प्रातः 8:00 बजे तक होगा। इस समय में परिवर्तन किया जा सकेगा।

13.3 समस्त कर्मी, फर्म द्वारा नियुक्त किए गए सुपरवाईजरों के निर्देशन में कार्य करेंगे। उक्त सुपरवाईजर, महाविद्यालय द्वारा नियुक्त सुपरवाईजर एवं प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

14. निविदा व्यवस्था की निविदा हेतु तकनीकि आवश्यकताएँ :–

उपरोक्त निविदा प्रपत्र का हर पृष्ठ निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील लगाकर निम्न संलग्नकों के साथ एक सील बंद लिफाफें में जिसके ऊपर महाविद्यालय/चिकित्सालय के सुचारु संचालन हेतु तकनीकि निविदा लिखकर **Envelope- "B"** से लिखें :–

निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत विवरण :–

1. फर्म का नाम :– ....
2. फर्म के प्रोपराईटर का नाम :– ....
3. फर्म के प्रोपराईटर का मो. नं. :– ....
4. फर्म का पूर्ण पता :– ....
5. फर्म का दूरभाष/फैक्स व ई–मेल नं :– ....
6. फर्म का फोटो आई.डी. नं. :– ....

क्रं.	विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
1	संपूर्ण निविदा प्रारुप जिसके प्रत्यके पृष्ठ पर, फर्म के प्रो. के हस्ताक्षर व सील लगी हो।	
2	संस्था/फर्म का जीवित लेबर लायसेंस केन्द्र अथवा राज्य का होना चाहिए।	
3	संस्था/फर्म का स्थाई लेखा क्रमांक (पेन)	
4	संस्था/फर्म का ई.पी.एफ. पंजीयन	
5	संस्था/फर्म का ई.एस.आई.सी. पंजीयन	
6	संस्था/फर्म का सर्विस टैक्स नंबर/पंजीयन	
7	वित्तीय वर्ष 2015–16 के आयकर रिटर्न जमा करने की प्रति	
8	वित्तीय वर्ष 2015–16 सर्विस टैक्स रिटर्न जमा करने की प्रति	
9	संस्था/फर्म को पिछले तीन वित्तीय वर्षो के ऑडिट की गई बैंलेंस शीट संलग्न होना चाहिए।	
10	अनुभव यदि है तो	
11	संस्था/फर्म द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने संबंधी 50 रु. के स्टाम्प पर नोटराइज्ड शपथ पत्र परिशिष्ट 2 के अनुसार	
12	संस्था/फर्म द्वारा विभिन्न कर्मी एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु परिशिष्ट 3 में फर्म के लेटर हेड पर जारी प्रमाण पत्र	

नोट :– निविदादाता फर्म/संस्था के पास उक्त समस्त दस्तावेजों को होना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में निविदादाता संस्था/फर्म की निविदा को तकनीकि अहर्ता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

परिशिष्ट–2

(50 रु. के स्टाम्प पर घोषण पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है)

घोषणा पत्र

मैं. .... पुत्र श्री .... उम्र .... (निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर/संस्थापक/संचालक का नाम/) फर्म .... पता .... शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूॅ कि मैंने पूर्ण होश एवं ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्ते पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्ते पूर्णतः मंजूर है। तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाएॅ जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त कर, वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान करता हूॅ। साथ ही हमारी फर्म को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्थानों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ....

निविदादाता फर्म का नाम ....

पता :– ....

मोबाईल नं. :– ....

गवाह हस्ताक्षर

1. पूरा नाम :– ....

   पता :– ....

   ....

2. पूरा नाम :– ....

   पता :– ....

   ....

परिशिष्ट–3

विभिन्न कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मेन पावर उपलब्ध कराने संबंधी फर्म के लेटर हेड पर जारी प्रमाण पत्र

मैं. .... पुत्र श्री .... उम्र .... (निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर/संस्थापक/संचालक का नाम/) फर्म .... पता .... यह प्रमाणित करता हूॅ। कि यदि हमारी फर्म को बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय के संचालन हेतु निविदा प्रदान की जाती है, तो हमारी फर्म, महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समुचित संख्या में कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल एवं सुपरवाईजर तथा आवश्यक सामग्री, दी गई वित्तीय निविदा दर में उपलब्ध कराऍगें।

हस्ताक्षर ....

संचालक/व्यवस्थापक का नाम ....

निविदादाता फर्म का नाम ....

पूर्ण पता :– ....

मोबाईल नं. :– ....

Envelope- "C"

वित्तीय निविदा प्रपत्र

प्रति,

श्रीमान अधिष्ठाता,
बुन्देलखण्ड शा. चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर (म.प्र.)।

विषय :— बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय निविदा दर (मैन पावर सहित) प्रदान करने बावत्।

आपके द्वारा .... (समाचार पत्र का नाम) में दि. .... को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय /चिकित्सालय के सुचारू संलालन के कार्य हेतु निम्नानुसार निविदा प्रस्तुत करता हूँ :—

<u>निविदा में उल्लेखित महाविद्यालय/चिकित्सालय में सुचारू संचालन हेतु मैनपावर व्यवस्था हेतु वित्तीय निविदा दर पत्रक जिसमें संपूर्ण सुरक्षा सामग्री के साथ फर्म सर्विस चार्ज की राशि संयोजित कर ली गई है।</u>

क्रमांक	विवरण	एकमुश्त दर (रु. प्रतिमाह)(राशि रुपयों में)
1	**महाविद्यालय/चिकित्सालय के सुचारू संचालन हेतु कुशल, अर्द्वकुशल, कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था हेतु मैनपावर से स्वयं के व्यय से सर्विस चार्ज की एकमुश्त प्रतिमाह निविदा दर**	रु. ..../— (रु. ....मात्र) प्रतिमाह
टीप :— सुरक्षाकर्मियों की संख्या अनुसार, श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा स्वीकृत अकुशल, कुशल अर्द्वकुशल प्रतिदिन की दर एवं उस पर ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की निर्धारित राशि अधिरोपित कर मासिक भुगतान देय होगा।		

विशेष :— निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्ते मैंने पढ़ ली है और वह मुझे पूर्णतः स्वीकार्य है। उक्त निविदा दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की राशि देयक में अधिरोपित नहीं की जावेगी।

निविदादाता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :— ....
....

दूरभाष/फैक्स क्रं. :— ....

मोबाइल नं. :— ....

निविदादाता फर्म प्रमुख के हस्ताक्षर :— ....

निविदादाता फर्म प्रमुख का नाम :— ....

निविदादाता फर्म की सील :— ....

नोट :— कृपया एक मुश्त दर नियत स्थान पर ही लिखें किसी प्रकार की कांट—छांट, ओवर राइटिंग न करें। कांट—छांट, ओवर राइटिंग करने या उपरोक्त दरों के अलावा प्रपत्र में किसी अन्य प्रकार नोट/शर्ते लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।